राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

1.	2.	3.	4.
क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2136/2021	धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर। 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली। 5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली 6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, करौली।
2.	2137/2021	नरेन्द्र कुमार मुदगल	
3.	2138/2021	देवेन्द्र कुमार शर्मा	

आदेश की दिनांक : 01.07..2021

उपस्थिति
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश यादव, अभिभाषक

समक्ष :– शुभा मेहता, सदस्य (न्यायिक)
जगरूप सिंह यादव, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपीलों की सुनवाई की गई।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं चाहा गया अनुतोष समान प्रकार के हैं और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से **अपील संख्या 2136/2021 धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी** के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि जिला परिषद, बाडमेर द्वारा एक विज्ञप्ति 10/98 जारी कर अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आंमत्रित किये गये, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु आदेश दिनांक 11.11.1999 के द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी। आदेश दिनांक 22.02.2003 (अनुलग्नक–2) द्वारा जिला परिषद, बाडमेर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 10/1998 के तहत् दिनांक 18.11.1999 के बाद नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जिला एवं ग्रामीण के बोनस अंक हटाकर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.10.2002 में वर्णित पक्षकारों के साथ तैयार की गयी वरीयता सूची में से जिला परिषद बाडमेर की

जिला स्थापना समिति की आयोजित बैठक दिनांक 15.02.2003 में अनुमोदन के पश्चात शेष रहे अभ्यार्थियों का चयन कर पत्र दिनांक 19.02.2003 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बाडमेर के कार्यालय के सुपुर्द करने पर पदस्थापन हेतु पंचायत समिति में पदस्थापन हेतु सुपुर्द किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 26.02.2001 द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त एकल आदेश को सरकार द्वारा खण्ड पीठ में चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2001 से निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2003 (अनुलग्नक–2) के द्वारा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा, बाडमेर को सुपुर्द किया गया एवं इसके पश्चात नियुक्ति प्रदान की गयी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति में विलम्ब किया गया है, जिसमें अपीलार्थी की किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं लापरवाही नहीं है।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि वर्ष 1998 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बनाई गई मेरिट सूची में अपीलार्थी के समान अभ्यर्थी श्री खेमाराम को आदेश दिनांक 11.11.1999 (अनुलग्नक–3) से नियुक्ति दी गई थी। विलम्ब से दी गयी नियुक्ति के लिए अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। बल्कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही देरी से चयन सूची बनाकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे।

अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी के समान मेरिट वाले, परन्तु पूर्व में ही नियुक्त श्री खेमाराम को दिनांक 01.08.2019 की स्थिति में मूल वेतन 57800 प्राप्त हो रहा है, जबकि अपीलार्थी को उक्त तिथि में कम वेतन प्राप्त हो रहा है, जो अनुलग्नक 4 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने समान प्रकृति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा सुमन बाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय की ओर अधिकरण का ध्यान आकृष्ट किया।

उक्त न्यायिक दृष्टांत के दृष्टिगत नियमानुसार अपीलार्थी को भी वेतनमान में काल्पनिक लाभ अपीलार्थी के समान मेरिट वाले कार्मिकों को नियुक्ति देने की तिथि से ही दिया जाना अपेक्षित है तथा तद्नुसार ही अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना की जाकर आगामी वेतनमान में

स्थरीकरण किया जाना अपेक्षित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जावे कि अपीलार्थी को उसके समान मेरिट वाले कार्मिकों को दी गई नियुक्ति तिथि से अपीलार्थी की काल्पनिक नियुक्ति मानी जाकर तद्नुसार ही अपीलार्थी को समस्त वेतनलाभ प्रदान किये जावे।

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को सुना गया। बहस के दौरान उन्होंने यह निवेदन किया कि पूर्व में अपीलार्थीगण के मामले के समान ही तथ्य वाले मामले में अपील संख्या–756/2020 राजपाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 08.09.2020 को पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का मामला भी पूर्णतः उस प्रकरण जैसा ही है। ऐसी स्थिति में उसे प्रत्यर्थीगण के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए और प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वह अपील संख्या–756/2020 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2020 के निर्णय के प्रकाश में उसका अभ्यावेदन निस्तारित करें।

उसके द्वारा बहस के दौरान की गयी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाना उचित है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि वह 2 माह की समयावधि में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अधिकरण द्वारा अपील संख्या–756/2020 राजपाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2020 के अनुसार, तथ्य समान होने की स्थिति में, विचार कर नियमानुसार निस्तारित करते हुए एक समुचित, आख्यात्मक (Speaking) आदेश पारित करें, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को देवें।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2136/2021 में एवं छाया प्रति अन्य 2 अपीलों में संलग्न की जाए।

अतः उपर्युक्त निर्देशानुसार उक्त समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

(जगरूप सिंह यादव)
सदस्य

(शुभा मेहता)
सदस्य (न्यायिक)